

पेम्पुय
3.12.2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| वादी | ब | प्रतिवादी |
| पोपारराज पुत्र आशराम जयवंशी कोकोट | बी | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |
| | म | |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 283 / 2021 GCMS No. 2021 / 1060

| | | |
|-------------|------------------------------------|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियत्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|

3/12/2021

वादी श्री पोपारराज पुत्र आशराम
जाति जयवंशी निवासी कोकोट द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत पेम्पुय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम कोकोट पटवार मण्डल थिर के खाता नम्बर 51 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि पोपारराज पुत्र आशराम

दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम पोपारराज पुत्र आशराम

है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 608378800158 आधार नम्बर 3422 7829 8893

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी शिव भूअनि चितावा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1154-1157